भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 5140**
24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय- किसान विशिष्ट पहचान का कार्यान्वयन**

5140. श्री सुधाकर सिंहः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न राज्यों/विशेषकर बिहार में अनिवार्य विशिष्ट किसान पहचान के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और अब तक पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा सीमित डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं, कृषि ऋण और सरकारी खरीद के साथ विशिष्ट किसान पहचान को जोड़े जाने के संभावित प्रभाव के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ग) क्या डिजिटल संसाधनों तक पहुंच से वंचित छोटे और सीमांत किसानों का किसी भी सरकारी योजना, राजसहायता या खरीद प्रणाली से वंचित न रहना सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे किसानों की सहायता के लिए की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क): एग्रीस्टैक डीपीआई के अंतर्गत राज्य किसान रजिस्ट्री में महिला किसान, पशुपालक और मत्स्यपालकसहित सभी भू-धारक किसान शामिल हैं और उन्हें किसान आईडी नामक एक डिजिटल पहचान प्रदान करती है। किसान रजिस्ट्री एप्लिकेशन में सभी भू-धारक किसानों के साथ-साथ किसानों जैसे काश्तकारों तथा बटाईदारों को भी पंजीकृत करने का प्रावधान है। दिनांक 19.03.2026 तक, बिहार में 47.63 लाख किसान आईडी सहित 9.20 करोड़ से अधिक किसान आईडी जनरेट किए जा चुके हैं। राज्यवार जनरेट किए गए किसान आईडी का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (घ): सरकार निरंतर किसान आईडी (एफआईडी) के परिणामों का मूल्यांकन करती है। इससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित खरीद, ऋण वितरण, इनपुट वितरण और आपदा राहत तक पहूंच का सुचारू एकीकरण संभव होता है। राज्य, किसानों के जीवन को सुगम बनाने के लिए किसान आईडी का उपयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने योजना कार्यान्वयन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित परामर्श, ऋण पहुंच और आपदा राहत प्रदान करने के लिए एग्रीस्टैक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जिसमें 5

दिनों खरीफ 2025 की फसल हानि के लिए 89 लाख किसानों को ₹14,000 करोड़ से अधिक का अंतरण शामिल है। छत्तीसगढ़ ने एमएसपी आधारित धान खरीद के लिए किसान आईडी और डिजिटल फसल सर्वेक्षण को संस्थागत रूप दिया है, जिसमें एक ही सीजन में 32 लाख से अधिक किसानों को शामिल किया गया है। इससे किसानों के पंजीकरण में आसानी, पारदर्शिता, फसल सत्यापन और एमएसपी भुगतान की समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के बावजूद, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, को डिजिटल रूप से शामिल करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं। वे किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि सखियों और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जैसी मौजूदा सहायता प्रणालियों का उपयोग करके एग्रीस्टैक पर पंजीकरण करा सकते हैं और सेवाओं एवं लाभों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें शिविरों का आयोजन कर रही हैं ताकि कोई भी किसान एग्रीस्टैक के लाभों से वंचित न रह जाए।

**अनुबंध**

| **क्र.सं.** | **राज्य का नाम** | **जनरेट किए गए किसान आईडी की संख्या (दिनांक 19.03.2026 तक)** |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 49,32,802 |
| 2 | असम | 12,78,378 |
| 3 | बिहार | 46,94,398 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 32,86,170 |
| 5 | गुजरात | 60,20,891 |
| 6 | हरियाणा | 11,34,650 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 5,80,030 |
| 8 | कर्नाटक | 60,75,905 |
| 9 | केरल | 22,50,877 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 1,04,30,155 |
| 11 | महाराष्ट्र | 1,31,81,173 |
| 12 | ओडिशा | 14,70,707 |
| 13 | पंजाब | 75,681 |
| 14 | राजस्थान | 83,39,049 |
| 15 | तमिलनाडु | 34,76,396 |
| 16 | तेलंगाना | 44,52,700 |
| 17 | त्रिपुरा | 63,325 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 1,99,75,651 |
| 19 | उत्तराखंड | 1,50,747 |
| | **कुल** | **9,18,69,685** |

******